अध्याय 2
लेखापरीक्षा अभिगम

2.1 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा उद्देश्य

यह निष्पादन लेखापरीक्षा 11वीं योजना के दौरान योजित सभी विद्युत परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए संप्रत्ययीकरण से निगम के सभी कार्यकलायों का शामिल करती है। उपर्युक्त के अतिरिक्त 10वीं योजना में छितरी परियोजनाओं का प्रतिष्ठापन करने के निगम के कार्यकलापों का भी अध्ययन किया गया।

निष्पादन लेखापरीक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित निर्धारित करते थे:

- क्या परियोजनाओं का चयन आर्थिक व्यवहार्यता और भारत सरकार की नीति की सम्पूर्ण आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया गया था;
- क्या परियोजनाओं तथा ठेकों का प्रबन्ध मितव्ययिता, दक्षता, प्रभावकारिता और स्थापित मार्गनिर्देशों के अनुसार किया गया था;
- क्या प्रभावी मॉनिटिरिंग तन्त्र विद्यमान था;
- क्या क्षमता वृद्धि कार्यक्रम में निर्धारित उद्देश्य प्राप्त किए गए थे।

इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि निगम द्वारा ''10वीं योजना के दौरान क्षमता वृद्धि कार्यक्रम'' की निष्पादन लेखापरीक्षा पूर्व में की गई थी निष्कर्ष वर्ष 2007-08 के लिए निगम की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल किए गए थे। उल्लिखित महत्वपूर्ण मामले निम्नलिखित थे:

- भूमि की अनुपलब्धता के कारण निर्माण में विलम्ब
- ठेका देने में विलम्ब
- ईंधन संयोजन तथा परिवहन समकालिक करने में विफलता
- मुख्य संयंत्रों की समापन अनुसूची से अतिरिक्त अवसंरचना को समकालिक न करना
- आदेश देने से पूर्व निर्णीत न किया जा रहा कार्य का क्षेत्र

इन विषयों पर की गई कार्रवाई टिप्पणी (एटीएन) अभी तक प्राप्त नहीं हुई है (मार्च 2014)।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा 11वीं योजना परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए उपर्युक्त कमियों को दूर करने के लिए निगम द्वारा किए गए उपचारी उपायों की मात्रा को निर्धारित करने के लिए की गई थी।

2.2 लेखापरीक्षा मानदण्ड

निम्नलिखित लेखापरीक्षा मानदण्ड अपनाए गए थे:

- एमओपी, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) तथा सीईआरसी के मार्गनिर्देश
- व्यवहार्यता रिपोर्टें (एफआरएस)/विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआरएस)
- कार्ययोजना, बैठकों के कार्यवृत्त और विभिन्न पणधारियों/एजेंसियों के साथ निगम के समझौता ज्ञापन (एमओयू)
- निविदा दस्तावेज, ठेका अनुबन्ध और निगम की कार्य तथा खरीद नियम पुस्तक

2.3 लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली तथा नमूना

लेखापरीक्षा जांच को प्रबन्धन के साथ एन्ट्री कान्फ्रेंस के साथ आरम्भ हुई जिसमें लेखापरीक्षा क्षेत्र, लेखापरीक्षा उद्देश्यों तथा उनके मानदण्डों पर चर्चा की गई थी। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्य के अन्त में प्रबन्धन के साथ व्यायक लेखापरीक्षा आपत्तियां सूचित करने के उद्देश्य से एग्जिट कान्फ्रेंस आयोजित की गई थी। प्रबन्धन के विचार इस प्रतिवेदन में शामिल किए गए हैं।

11वीं योजना के संबंध में परियोजनाओं के सभी प्रमुख 21 ठेकों की निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान जांच की गई थी। तथापि संयुक्त उद्यम विधि में आरम्भ की गई परियोजनाओं का चयन करने से पूर्व निगम द्वारा की गई विधिवत सचेतना/जोखिम विश्लेषण को सत्यापित नहीं किया जा सका क्योंकि उससे सम्बन्धित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

उपर्युक्त लेखापरीक्षा के सामयिक समापन के लिए प्रबन्धन द्वारा दिए गए सहयोग का लेखापरीक्षा आभार व्यक्त करता है।